बिहार सरकार
उद्योग विभाग

श्री जय कुमार सिंह
मंत्री, उद्योग विभाग
बिहार सरकार

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री
बिहार

उद्योग विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17
वार्षिक कार्यक्रम 2017–18

IITF, नई दिल्ली में माननीय राज्यपाल, बिहार द्वारा हस्तकला का अवलोकन

ताड़ वृक्ष आधारित उत्पादों पर विशेषज्ञों से जानकारी लेते माननीय मुख्यमंत्री

बिहार खादी के लोगो का लोकार्पण करते माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री, उद्योग

जय कुमार सिंह
मंत्री, उद्योग विभाग

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

दूरभाषः 0612–2215430 (का.)

संदेश

बिहार सरकार उद्योग विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17 आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में राज्य में समग्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन हेतु उद्योग विभाग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न प्रक्षेत्रों में सुक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत उद्योग लगाने का अवसर प्रदान कर किसानों, शिक्षित, बेरोजगारों एवं उद्यमियों के आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है।

सरकार राज्य के समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में निवेश के वातारण में अग्रेतर सुधार हुआ है। इसमें निरंतर सुधार होता रहे इसके लिए राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए गये हैं तथा सफल कार्यान्वयन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

सिंगल विण्डो सिस्टम को सरल, सुदृढ़ एवं कारगर बनाने तथा राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेंस एक्ट, 2006 को निरसित कर ''बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016'' को लागू की गयी। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के सभी या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए ''बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 लागू की गयी है। राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 लागू की गयी है। उक्त नीति के तहत प्राथमिकता के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु मशीन विनिर्माण, आई.टी., आई.टी.ई.एस., इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर विनिर्माण, प्लास्टिक और रबर, अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य, वस्त्र, चमड़ा एवं तकनीकी शिक्षा को विशेष सुविधायें देने का प्रावधान किया गया है। ''उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार अभियान'' के जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ''बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2016'' लागू की गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य को शराब मुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध हैं उनकी इस कटिबद्धता को मूर्त रूप देने हेतु राज्य सरकार भी कृतसंकल्पित है। पूर्व में यहाँ के लोग ताड़ के उत्पाद को नशे के रूप में उपयोग करते थे। नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए ताड़ के पेड़ के उत्पाद पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु नीरा एवं नीरा से बनने वाले उत्पादों के लिए मैन्युफैक्चरिंग युनिट की स्थापना एवं संचालन हेतु कॉम्फेड को जिम्मेवारी दी गयी है।

विदेशों में हस्तशिल्प वस्तुओं की बढ़ती माँग को ध्यान में रखते हुए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना को सोसाइटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधित कराया गया है।

हैण्डलूम, रेशम, खादी एवं ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र के लिए भी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादन, प्रशिक्षण एवं विपणन को बढ़ावा देकर रोजगार का सृजन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उद्योग विभाग के अन्तर्गत वृहत्, मध्यम एवं लघु उद्योग प्रक्षेत्र के लिए मूल रूप से रूपये 715.88 करोड़ जिसे पुनरीक्षित कर 775.88 करोड़ किया गया है।

उद्योग विभाग अपनी नीतियों में सफल होकर नये औद्योगिक बिहार का सपना साकार कर सके उसके लिए हमें निरंतर आपके द्वारा भी मूल्यांकन आधारित सहयोग अपेक्षित है।

शुभकामनाओं के साथ,

भवदीय

Kumar

(जय कुमार सिंह)
उद्योग मंत्री, बिहार।

वित्तीय वर्ष 2016–17 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

★ राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016, 01 सितम्बर 2016 से लागू की गई है, जिसके तहत् प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक इकाइयों को विशेष सुविधायें देने का प्रावधान है।

★ सिंगल विण्डो सिस्टम को सरल, सुदृढ़ एवं कारगर बनाने तथा राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेंस एक्ट, 2006 को निरसित कर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 को 01 सितम्बर, 2016 से लागू की गयी है।

★ राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् से स्वीकृति हेतु ऑन लाईन फाइलिंग करने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों से कॉमन एप्लीकेशन फार्म में ऑन लाईन आवेदन प्राप्त कर आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् को निर्णय लेने का प्रावधान है।

★ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 अधिसूचित किया गया है।

★ राज्य के समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्ट–अप परिस्थिति तैयार हो, जिससे युवाओं का सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में बिहार उभरे तथा जहाँ सभी सम्भावित क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ढाँचे का विकास हो सके इसी मद्देनजर बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2016 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 से लागू की गयी है।

★ Ease of doing business के तहत राज्य सरकार द्वारा Ease of doing business Reforms को लागू करने हेतु विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा–श्रम, वाणिज्यकर, पर्यावरण के क्षेत्र में अनेकों सुधार लाया गया है। इसके तहत उद्योग संवाद पोर्टल (www.udyog.bihar.gov.in) के माध्यम से राज्य के सभी विभागों द्वारा प्रकाशित अधिनियमों/नियमों/नीतियों/परिपत्रों/सूचनाओं/अधिसूचनाओं की जानकारी दी जाती है।

★ औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा Ease of doing business से संबंधित बिन्दुओं का प्रतिउत्तर रैंकिंग वर्ष 2015–16 में जो 16.41 प्रतिशत था वह वर्ष 2016–17 में बढ़कर 75.86 प्रतिशत हो गया।

★ उद्योग संवाद पोर्टल (www.udyog.bihar.gov.in) पर कार्यरत उद्यमियों द्वारा किये गये online 234 Queries एवं नये उद्यमियों द्वारा online 394 Queries का ऑन लाईन जवाब दिया गया साथ ही इसी पोर्टल एवं समाचार–पत्रों के माध्यम उद्यमी बनने हेतु इच्छुक कुल 1,753 आवेदकों को उद्योग लगाने हेतु मार्ग–दर्शन/मेंटरिंग का कार्य उद्योग मित्र द्वारा किया गया।

★ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 लागू होने के पश्चात् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा कुल 171 नये प्रस्तावों पर स्वीकृति (स्टेज–1 Clearance) प्रदान की गयी जिसमें प्रस्तावित निवेश ₹ 2,165.00 करोड़ है।

★ राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा वर्ष 2006 से 2016 (दिनांक 30.06.2016 तक) कुल 2,345 प्रस्तावों पर स्वीकृति।

- ₹ 2,19,444.00 करोड़ की पूँजी निवेश प्रस्तावित।
- कुल 314 परियोजनाएँ स्थापित।
- ₹ 8,632.56 करोड़ का पूँजी निवेश।
- 15,568 व्यक्ति नियोजित।
- 178 परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर।

- ★ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निम्नांकित रियायतें/सुविधाओं के लिए राशि की प्रतिपूर्ति की गयी है:
  - 77 इकाइयों को ₹ 18.52 करोड़ कैपटिव पावर/डी.जी. सेट अनुदान वितरित।
  - वैट की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 235.53 करोड़ की राशि वाणिज्य कर विभाग को आवंटित।
  - ए.एम.जी./एम.एम.जी. के अन्तर्गत छूट प्रदान करने हेतु ₹ 89.50 करोड़ बिहार पावर (होल्डिंग) कम्पनी को भुगतान किया गया।
- ★ खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पी.ए.एम.सी. द्वारा अबतक कुल 413 इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
  - ₹ 4,743.99 करोड़ सम्भावित पूँजी निवेश सन्निहित।
  - प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 48,876 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने की सम्भावना।
  - इनमें कुल स्वीकृत अनुदान ₹ 940.81 करोड़ में से अब तक 315 इकाइयों को ₹ 510.66 करोड़ अनुदान विमुक्त।
  - 127 इकाइयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- ★ कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 3,845 युवा/युवतियों को आवासीय प्रशिक्षण हेतु ₹19.75 करोड़ राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं प्रशिक्षण प्रारंभ है।
- ★ मद्य निषेध पर त्वरित एवं सफल कार्यान्वयन हेतु ताड़ के पेड़ के उत्पाद पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु नीरा एवं नीरा से बनने वाले उत्पादों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना एवं संचालन हेतु कॉम्फेड को जिम्मेवारी दी गई है।
  - वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत इस मद में ₹ 50.00 करोड़ का उद्व्यय प्राप्त है।
- ★ प्रवासी भारतीय दिवस 2017 में बिहार स्टॉल का सफल आयोजन बेंगलूरू में दिनांक 07 से 09 जनवरी तक किया गया।
- ★ मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अन्तर्गत 4 (चार) कलस्टर यथा– कन्हैयागंज झुला कलस्टर, लखीसराय राईस मिल कलस्टर, मेनमेंहसी सीप बटन कलस्टर एवं बथना सीप बटन कलस्टर के ''सामान्य सुविधा केन्द्र'' की स्थापना हेतु क्रमशः 153.57 लाख (एक करोड़ तिरपन लाख संतावन हजार), 82.344 लाख (बेरासी लाख चौतीस हजार चार सौ), 29.57 लाख (उनतीस लाख संतावन हजार) एवं 29.13 लाख (उनतीस लाख तेरह हजार) की राशि विमुक्त की गयी है। चारो कलस्टर में ''सामान्य सुविधा केन्द्र'' की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
- ★ बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनवरी 2017 तक कुल 34 इकाइयों को भूमि आवंटित की गयी है, जिसमें कुल ₹ 103.64 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

हस्तकरघा प्रक्षेत्र

- ★ हस्तकरघा प्रक्षेत्र के विकास हेतु 01 मेगा हैण्डलूम कलस्टर (भागलपुर एवं बांका) के तहत् 10 प्रखंड स्तरीय कलस्टर का चयन किया गया।
- ★ 4,413 बुनकरों को विभिन्न तरह की सुविधायें प्रदान करने का प्रावधान है।
- ★ बुनकरों के एक परिवार के पांच सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा।
- ★ सरकारी एवं प्राईवेट अस्पतालों से ₹ 30,000/– (तीस हजार) तक की ईलाज की सुविधा।
- ★ प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजनान्तर्गत राज्य के 31 बुनकरों को ₹ 24.50 लाख ऋण वितरित कर लाभान्वित किया गया।

रेशम प्रक्षेत्र

- ★ मुख्यमंत्री तसर विकास की योजनान्तर्गत बांका, मुंगेर एवं नवादा जिलों में 1,089 हेक्टेयर निजी भूमि में तसर वृक्षारोपण कराया गया।

- ★ अग्र परियोजना केन्द्र, बांका, इनारावरण, कटोरिया एवं श्याम बाजार में एक प्रशासनिक भवन एवं पाँच बीजागार भवन निर्माण के लिए ₹ 826.04 लाख की स्वीकृति।

  इन्हीं केन्द्रों में एक–एक ककून बैंक निर्माण हेतु ₹ 92.88 लाख की राशि स्वीकृत।

- ★ बांका एवं भागलपुर जिले में थाई रीलिंग के उन्मूलन के लिए कुल 661 रीलरों को बुनियाद तसर रीलिंग मशीन वितरण के लिए राज्य योजना से ₹ 16,02,925.00 स्वीकृत किया गया है इसके वितरण से तसर सूत उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- ★ मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजनान्तर्गत सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एवं मधेपुरा जिलों में 627 एकड़ निजी भूखण्ड में मलवरी वृक्षारोपण कराया गया।
  - कीटपालकों के 81 समूहों को सिंचाई हेतु पम्प सेट की आपूर्ति की गई।
  - 351 कीटपालकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया।

बिहार राज्य खादी बोर्ड

- ★ खादी बोर्ड के भवनों और खादी के शोरूम भवनों के निर्माण के लिए ₹ 24.35 करोड़ के लागत से भवन का शिलान्यास किया गया।
- ★ चरखा दिवस के अवसर पर बिहार खादी लोगो एवं बार–कोड का विमोचन किया गया।
- ★ खादी पुनरूद्धार योजना के तहत 35 संस्थाओं/समितियों के बीच 1,000 त्रिपुरारी मॉडल चरखा का वितरण किया गया।
- ★ खादी वस्त्रों पर 10 प्रतिशत रिबेट का लाभ आम जनता को दिया जा रहा है।

उद्योग मित्र

- ★ वर्ष 2016–17 में दिसम्बर 16 तक कुल 851 उद्यमियों को प्रोजेक्ट प्रोफाईल आंकड़े एवं सलाह दे कर लाभान्वित किया गया।
- ★ सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत् उद्योग मित्र में प्रत्येक बुधवार को वरीय पदाधिकारी (वाणिज्यकर विभाग, श्रम संसाधन विभाग, निबंधन विभाग, उत्पाद एवं मद्यनिषेद्य विभाग, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी प्रा. लि., साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी प्रा. लि. एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार) उपस्थित रहकर प्राप्त 45 मामलों में से कुल 19 मामलों का निष्पादन किया गया।

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना

- ★ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना के कार्यकलापों में तेजी लाने के उद्देश्य से संस्थान को सोसाईटी राजिट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत 02 सितम्बर, 2016 को निबंधित किया गया।
- ★ बिहार में एकीकृत हस्तशिल्प के विकास हेतु 10 शिल्पियों यथा–मिथिला पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, काष्ट खिलौना, एप्लिक/कशीदा, टेराकोटा, सिक्की कला, जूट शिल्प, वेणु शिल्प, मंजूषा शिल्प, जूट ज्वेलरी प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष दो सत्रों (जनवरी–जून एवं जुलाई–दिसम्बर) में चलाया जाता है।
- ★ प्रथम सत्र जनवरी –जून 2016 में 35 सामान्य प्रशिक्षणार्थियों एवं जुलाई –दिसम्बर 2016 के सत्र में 37 प्रशिक्षणार्थियों को जो राज्य के कुष्ठ रोग से ग्रसित लेकिन उपचारित तथा उनके आश्रितों को हस्तशिल्प के विभिन्न बिन्दुओं में प्रशिक्षण दिया गया।
- ★ अंग संस्कृति भवन, कचहरी परिसर, भागलपुर में 17–19 अगस्त 2016 तक मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया गया।
  - 99 शिल्पियों को लाभान्वितों किया गया।
- ★ भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली में संस्थान द्वारा सुसज्जित बिहार पेवेलियन को स्वर्ण पदक

खाद्य प्रसंस्करण इकाई, कैमुर

उद्योग विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था–प्रशासकीय स्वरूप

उद्योग विभाग में सचिवालय स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव हैं, जिन्हें सहयोग करने हेतु अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव तथा विशेष कार्य पदाधिकारी हैं।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय तथा खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय कार्यरत है।

उद्योग निदेशालय

उद्योग निदेशालय के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक हैं, जिन्हें सहयोग करने के लिए अपर निदेशक, संयुक्त उद्योग निदेशक, उप उद्योग निदेशक, सहायक उद्योग निदेशक, अर्थ अन्वेषक एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी हैं। इसके अलावा बिहार सचिवालय संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक भी पदस्थापित हैं। निदेशालय का प्रमुख कार्य राज्य के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने एवं राज्य में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कार्यान्वित करना है। साथ ही उद्यमियों की समस्या का निराकरण करना एवं इसके लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है।

जिला उद्योग केन्द्र

जिला उद्योग केन्द्र राज्य के औद्योगिकीकरण हेतु यह जिला स्तरीय कार्यालय है। राज्य के सभी 38 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र अवस्थित है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्रीय एवं राज्य योजनाएँ यथा–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उद्योगों की स्थापना में सहयोग करना, जिला स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण, जिला स्तरीय उद्योग संघों से समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराना एवं उससे उनको लाभान्वित कर जिला के औद्योगिक विकास को तीव्रता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु कलस्टर विकास योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) की स्थापना कराना, भारत सरकार की योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु उद्यम कलस्टर विकास योजना (एम.एस.ई.–सी.डी.पी.) का कार्यान्वित कराना, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत विशेष कलस्टर अन्तर्गत कॉमन फैसीलिटी सेन्टर स्थापित करवाना तथा इसके लिए चर्म उद्योग आधारित कलस्टर के लिए बेस लाईन सर्वे का कार्य एवं इसके अतिरिक्त टेक्सटाईल/अपेरल कलस्टर की स्थापना के लिए बेस लाईन सर्वे का कार्य जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की इकाई जिन्होंने अपना उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है वे ऑन–लाईन आवेदन कर उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व के उद्यमी ज्ञापन ई.एम.–1, ई.एम.–2 व्यवस्था को समाप्त कर दी गयी है।

इसके साथ ही साथ जिला के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्र के नियंत्री पदाधिकारी महाप्रबंधक होते हैं तथा इनके सहायतार्थ कार्यकारी प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अर्थ अन्वेषक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, कनीय सांख्यिकी सहायक एवं अन्य कार्यालय कर्मी होते हैं। उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु महाप्रबंधक को जिले के अन्दर सभी प्रकार की प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियाँ उद्योग निदेशालय द्वारा प्रदत्त है।

तकनीकी विकास निदेशालय

तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा मुख्य रूप से आधुनिक औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास, उद्यमिता विकास, गुणवत्ता एवं उत्पादकता तथा वृहत उद्योग प्रक्षेत्र में पूँजी निवेश के प्रस्तावों का समन्वय एवं अनुश्रवण के साथ–साथ उद्यमियों को परियोजनाओं के चयन में परामर्श दिया जाता है। नई औद्योगिक नीति के निरूपण में तकनीकी विकास निदेशालय की प्रमुख भूमिका होती है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति एवं प्रक्रिया का अन्तिम रूप तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा दिया जाता है। राज्य में पूँजी निवेश के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद गठित है, जिसका कार्यान्वयन तकनीकी विकास निदेशालय के द्वारा सम्पन्न करायी जाती है। पर्षद में दिये जाने वाले प्रस्तावों की समीक्षा एवं अनुश्रवण से संबंधित कार्य किया जाता है।

उद्योग विभाग ''बिहार सरकार औद्योगिक बुनियादी ढ़ाँचे के विकास'' के लिए राज्य में नोडल एजेन्सी है। गेल (इण्डिया) लि. द्वारा जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) से हल्दिया (पश्चिम बंगाल) तक नेचुरल गैस पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इस गैस पाईप लाईन के द्वारा नेचुरल गैस की आपूर्ति होने से बिहार राज्य के उद्योगों, सी. एन.जी. आधारित वाहनों एवं हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की बरौनी उर्वरक कारखाना, बेगुसराय, बरौनी इकाई तथा बरौनी में प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल इकाई की स्थापना संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त गैस पर आधारित थर्मल पावर की स्थापना तथा जेनरेटिंग एवं कैपटिव पावर प्लांट की स्थापना भी संभव हो सकेगी।

मुख्य पाईप लाईन मुख्यतः बिहार के चार जिलों यथा– गया, रोहतास, औरंगाबाद एवं कैमूर से गुजरेगी तथा गया से एक ब्रांच लाईन पटना तथा दूसरी ब्रांच लाईन नालंदा, शेखपुरा, लक्खीसराय एवं बेगुसराय होते हुए बरौनी तक जायेगी। पाईप लाईन बिछाने के क्रियान्वयन का कार्य दो चरणों में प्रस्तावित है। प्रथम चरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जून 2018 तक उपरोक्त जिलों में प्राकृतिक गैस पाईप लाईन बिछाने का लक्ष्य निर्धारित है। साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रब्यूशन के लिए भी एक ब्रांच लाईन आवश्यकता के अनुसार एवं आर्थिक लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए अन्य जिलों में विस्तारित किया जायेगा। पाईप लाईन बिछाने एवं नेचुरल गैस के इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एम.ओ.यू. पर होने वाले करार में अधिकतम व्यय गेल (इण्डिया) लि. को वहन करना है, राज्य सरकार को कोई विशेष वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गेल (इण्डिया) के साथ बननेवाली (जे.भी.सी.) कम्पनी में राज्य सरकार जितना भी शेयर इस कम्पनी की लेगी, उसी के अनुसार ज्वाइंट भेंचर कम्पनी में वित्तीय भार का वहन करना होगा।

इस परियोजना हेतु गेल (इण्डिया) लि. द्वारा राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की गयी है।

नेचुरल गैस पाईप लाईन बिछ जाने के उपरान्त राज्य सरकार को निम्नांकित लाभ मिलने की संभावना है:

- अबाधित गैस की आपूर्ति से उर्जा प्रक्षेत्र में संसाधन प्राप्त होगा।
- गाड़ियों में सी.एन.जी. के प्रयोग से शहरी प्रदूषण में भारी कमी आयेगी।
- वातावरण में कार्बन–मोनोक्साइड जैसे जहरीले गैस की मात्रा में कमी आयेगी।
- नए गैस आधारित उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप नियोजन एवं क्रमागत आय में वृद्धि होगी।
- पी.एन.जी. के घरेलू प्रयोग की आपूर्ति के फलस्वरूप व्यय में कमी।

- सी.एन.जी. एवं पी.एन.जी. की आपूर्ति के फलस्वरूप एल.पी.जी., कोयला एवं ऑयल को ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति में वृद्धि किया जा सकेगा।
- एल.एन.जी. ''दरवाजा पहल' (Door Step) योजना के तहत अन्तिम ग्राहक तक उर्जा पहुँचायी जा सकेगी।

अमृतसर, दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर देश के 07 (सात) राज्यों यथा–पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। प्रथम चरण में सभी सात राज्यों में 2,500 एकड़ क्षेत्रफल में एक Integrated Manufacturing Cluster की स्थापना की जायेगी। IMC की स्थापना हेतु गया जिला के गम्हरिया साईट चयन किया गया है। इससे संबंधित कार्य तकनीकी विकास निदेशालय के देख–रेख में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस निदेशालय के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकास हैं, जिन्हें सहयोग करने हेतु अपर निदेशक (तकनीकी), संयुक्त निदेशक (तकनीकी), उप निदेशक (तकनीकी), सहायक निदेशक (तकनीकी) एवं तकनीकी पदाधिकारी हैं।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम के नियंत्रण में इस निदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र का समुचित विकास एवं राज्य के रेशम/मलवरी उत्पादकों तथा बुनकरों के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

इस निदेशालय में निदेशक के सहायतार्थ संयुक्त उद्योग निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं तकनीकी पदाधिकारी है। निदेशालय द्वारा हस्तकरघा एवं रेशम के विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है तथा रेशम एवं हस्तकरघा विकास की केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं का सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण के कार्य किये जाते हैं। साथ ही राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के सहकारी सहयोग समितियों का प्रशासी विभाग, उद्योग विभाग है।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय

हस्तकरघा प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) कार्यालय भागलपुर/गया/मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में तथा रेशम प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) कार्यालय पटना/भागलपुर/पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। आठ बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, नौ मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र भी अवस्थित है। इनके सहायतार्थ तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी पदस्थापित है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय

राज्य में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा विजन डाक्युमेन्ट–15 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

कृषि रोड मैप के तहत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में मेज साईलो, कोल्ड स्टोरेज एवं राईस मिल की परियोजनाओं के साथ ही फ्लावर मिल, बिस्कुट एवं स्नैक्स की इकाइयों की स्थापना से संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन करना।

इस निदेशालय में निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण को संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवालय सहायक, अर्थ अन्वेषक एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) वर्ष 1974 के अधिनियम द्वारा उद्योग विभाग के तहत स्थापित है। बियाडा के नियंत्री पदाधिकारी प्रबंध निदेशक होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार में औद्योगिक क्षेत्र प्रांगणों को विकसित कर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। बियाडा के कार्य क्षेत्र चार क्षेत्रीय कार्यालयों यथा पटना, भागलपुर, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में कार्यरत है, जिसमें कुल 50 औद्योगिक क्षेत्र प्रांगण/विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 34 इकाइयों को भूमि का आवंटन किया गया है जिसमें कुल ₹103.64 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है जिसमें 1,202 व्यक्तियों का नियोजन सम्भावित है। वर्तमान में बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में 1,612 इकाइयाँ कार्यरत है तथा 358 इकाइयों में स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा निकट भविष्य में इन इकाइयों में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो जाने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना अन्तर्गत कुल ₹ 647.59 लाख का कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है साथ ही वित्तीय वर्ष 2017–18 में लगभग ₹ 413.81 लाख का कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने की संभावना है।

Bihar Industrial Area Development Authority, Patna
Report of Number of units existing

Sl.	Name of the Regional office	No. of working unit	No.of units under construction	No. of units which have not started construction	No. of Units (closed/ In Cancellation Process)	Total of existing Units
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
1	Patna	681	185	31	273	1170
2	Bhagalpur	279	47	21	27	374
3	Dharbhanga	288	41	6	40	375
4	Muzaffarpur	364	85	24	47	520
	Total	**1,612**	**358**	**82**	**387**	**2,439**

BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY			
Vacant Land on NOVEMBER 2016			
Sl.	**Name of Regional Office**	**Total Vacant Plot (In Nos.)**	**Total Vacant Land (In Acres)**
1	Patna	163	59.64
2	Bhagalpur	73	28.69
3	Muzaffarpur	110	58.70
4	Darbhanga	111	29.92
	Total	**457**	**176.95**

Industrial Area in Patna Region as on December 2016			
Sl.	**Name of Industrial Area**	**Total Vacant Plot (In Nos.)**	**Total Vacant Area (In Acres)**
1	Patliputra (I/E)	1	0.15
2	Fatuha	16	2.99
3	Hajipur	3	1.13
4	EPIP	3	0.89
5	Bihar Shariff	4	2.19
6	Nawada	13	1.18
7	Gaya	2	0.23
8	Jehanabad	8	0.46
9	Aurangabad (IA)	6	1.05
10	Aurangabad (GC)	37	25.40
11	Dehri-on-Sone	6	7.23
12	Barun	20	1.72
13	Vikramganj	1	0.07
14	Buxar	8	2.47
15	Bihiya	29	11.23
16	Gidha	4	0.92
17	Bihta (IA)	0	0.00
18	MIP Bihta	0	0.00
19	Kopakala	0	0.00
20	Barauni	2	0.33
	Total	**163**	**59.64**

Industrial Area in Bhagalpur Region as on December, 2016			
Sl.	Name of Industrial Area	Total Vacant Plot (In Nos.)	Total Vacant Area (In Acres)
1	Barari, Bhagalpur	18	3.19
2	Jamalpur	17	3.09
3	Munger	12	0.97
4	Sitakund	0	0.00
5	Lakhisarai	2	0.08
6	G. C. Kahalgaon	0	0.00
7	G. C. Maranga, Purnea	13	14.32
8	Purnea City	1	0.33
9	Forbesganj	5	3.43
10	Katihar	5	3.28
11	Khagara (Kishanganj)	0	0.00
12	Bhendiangi (Kishanganj)	0	0.00
	Total	**73**	**28.69**

Industrial Area in Muzaffarpur Region as on December, 2015			
Sl.	Name of Industrial Area	Total Vacant Plot (In Nos.)	Total Vacant Area (In Acres)
1	I.E Muzaffarpur	5	1.03
2	I.A Muzaffarpur	20	21.37
3	Bettiah	0	0.23
4	Kumarbagh	55	29.84
5	Ramnagar	22	5.09
6	Raxaul	1	0.11
7	Sitamarhi	7	1.03
8	Siwan	0	0.00
	Total	**110**	**58.70**

Industrial Area in Darbhanga Region as on NOVEMBER, 2016			
Sl.	Name of Industrial Area	Total Vacant Plot (In Nos.)	Total Vacant Area (In Acres)
1	Bela	1	0.02
2	Dharampur	3	0.52
3	Donar	50	14.63
4	Pandoul	24	8.43
5	Jhanjharpur	6	0.74
6	Samastipur	2	0.23
7	Saharsa	0	0.00
8	Murliganj	12	1.60
9	Udakishanganj	13	3.75
10	Khagariya	0	0.00
	Total	**111**	**29.92**

राईस मिल इकाई, वैशाली

सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिये गये हैं तथा सफल कार्यान्वयन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

सिंगल विण्डो सिस्टम को सरल, सुदृढ़ एवं कारगर बनाने तथा राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सिंगल विण्डो क्लीयरेंस एक्ट, 2006 को निरसित कर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 को लागू किया गया है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016, 01 सितम्बर, 2016 से लागू की गयी है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् से स्वीकृति हेतु ऑन लाईन फाइलिंग करने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके तहत् औद्योगिक इकाइयों से कॉमन एप्लीकेशन फार्म में ऑन लाईन आवेदन प्राप्त कर आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा निर्णय लेने का प्रावधान है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के सभी या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 से लागू की गई है। इसके तहत् निवेश के वैसे प्रस्ताव जिनमें ₹2.50 (दो करोड़ पचास लाख) करोड़ और उससे कम निवेश हो, उसे औद्योगिक विकास आयुक्त, जिनमें ₹2.50 (दो करोड़ पचास लाख) करोड़ से अधिक और ₹10.00 (दस) करोड़ तक का निवेश निहित हो उस पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, जिनमें ₹10.00 (दस) करोड़ से अधिक और ₹20.00 (बीस) करोड़ तक का निवेश निहित हो उस पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग तथा माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जायेगा। ₹20.00 (बीस) करोड़ से उपर के निवेश प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा वर्ष 2006 से 2016 (दिनांक 30.06.2016 तक) कुल 2,345 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसमें ₹2,19,444 करोड़ का पूँजी निवेश प्रस्तावित है। इस अवधि में कुल 314 परियोजना स्थापित हो चुकी है तथा जिसमें कुल ₹8,632.56 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है तथा 15,568 व्यक्तियों का नियोजन है। इसके अतिरिक्त 178 परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है।

साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 लागू होने के पश्चात् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा कुल 171 नये प्रस्तावों पर स्वीकृति (स्टेज–1 Clearance) प्रदान की गयी जिसमें प्रस्तावित निवेश ₹2,165.00 करोड़ है।

राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 लागू की गयी है जिसके तहत प्राथमिकता के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु मशीन विनिर्माण, आई.टी., आई.टी.ई.एस., इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण, वस्त्र, प्लास्टिक और रबर, अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य, चमड़ा एवं तकनीकी शिक्षा को विशेष सुविधाएँ देने का प्रावधान किया है।

कारोबार आसान करने के लिए सूचनाओं की उपलब्धता के लिए ''उद्योग संवाद पोर्टल'', औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, श्रम संबंधी सुधार, कर संबंधी सुधार, वातावरण संबंधी सुधार, सिंगल विण्डो क्लीयरेंस व्यवस्था, सामान्य आवेदन प्रपत्र का प्रावधान, कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी का प्रावधान एवं बियाडा अधिनियम में सुधार का प्रावधान किया गया है।

बिहार की कुल जनसंख्या का एक अच्छा खासा हिस्सा युवाओं का है। बिहार में प्रचुर संसाधन है और यहाँ के युवाओं में वह प्रतिभा है, जो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सके। यह नीति राज्य के समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्ट–अप परिस्थिति तैयार करेगी, जिससे युवाओं का सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में बिहार उभरेगा, जहाँ सभी संभावित क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ढाँचे का विकास होगा। इस मद्देनजर बिहार स्टार्ट–अप नीति 2016 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 से लागू की गयी है। जिसके तहत विभिन्न प्रकार के वित्तीय के साथ अन्य प्रकार के सहायता का प्रावधान किया गया हैं।

स्टार्ट–अप नीति के तहत ट्रस्ट के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद से अनुमोदनोपरांत दिनांक 02.12.2016 को ट्रस्ट का निबंधन हो गया है।

ट्रस्ट के न्यासी पर्षद की प्रथम बैठक दिनांक 12.01.2017 को हुई जिसके अनुपालन में ट्रस्ट के अधीन प्रारंभिक समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.01.2017 एवं दिनांक 02.02.2017 को आयोजित की गई जिसमें प्राप्त 429 आवेदनों की समीक्षा की गई तथा 63 Potential Startup को Host Institutes (इन्क्यूबेटर) के साथ संबद्ध करने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2016 के तहत कॉरपस फंड के रूप में 50 करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

Ease of doing business के तहत राज्य सरकार द्वारा Ease of doing Reforms को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा श्रम, वाणिज्यकर, पर्यावरण के क्षेत्र में अनेकों सुधार लाया गया है जिसके तहत उद्योग संवाद पोर्टल (www.udyog.bihar.gov.in) के माध्यम से राज्य की सभी विभागों द्वारा प्रकाशित अधिनियमों/नियमों/नीतियों, परिपत्रों/सूचनाओं/अधिसूचनाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम–2016, तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 लागू की गयी है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा Ease of doing business से संबंधित बिन्दुओं का प्रतिउत्तर रैंकिंग वर्ष 2015–16 में जो 16.41 प्रतिशत था वह वर्ष 2016–17 में बढ़कर 75.86 प्रतिशत हो गया।

उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर माह के पाँचवें सोमवार को उद्यमी पंचायत का आयोजन किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2016 को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु एवं राज्य में निवेश की संभावनाओं पर विचार–विमर्श हेतु उद्यमी पंचायत का आयोजन किया गया एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अधिसूचना के पश्चात विमर्श हेतु दिनांक 31.10.2016 को उद्यमी पंचायत का आयोजन किया गया।

विभागीय योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन

उद्योग विभाग के अन्तर्गत वृहत, मध्यम उद्योग प्रक्षेत्र तथा ग्रामीण / लघु उद्योग प्रक्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में मूल योजना उद्व्यय ₹715.88 करोड़ एवं पुनरीक्षित उद्व्यय ₹775.88 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध फरवरी–17 तक कुल ₹367.00 करोड़ व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्य रूप से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति हेतु ₹462.99 करोड़, हस्तशिल्प प्रक्षेत्र का विकास हेतु ₹41.87 करोड़, हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र का विकास हेतु ₹50.20 करोड, खादी प्रक्षेत्र का विकास हेतु ₹9.80 करोड़, प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹50.00 करोड़ उद्व्यय कर्णांकित किया गया है।

वृहत एवं मध्यम उद्यम प्रक्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2016–17 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 एवं 2011 के अन्तर्गत निम्न सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी है:

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 77 इकाइयों को ₹18.52 करोड़ कैप्टिव पावर / डी.जी. सेट अनुदान दी गयी है। इस नीति के तहत वैट की प्रतिपूर्ति हेतु ₹235.53 करोड़ वाणिज्य–कर विभाग एवं ए.एम. जी. / एम.एम.जी. अंतर्गत छूट प्रदान करने हेतु ₹89.50 करोड़ पावर होल्डिंग कम्पनी को उपलब्ध कराया गया है। 07 (सात) इकाइयों को स्टाम्प डयूटी / निबंधन शुल्क में छूट तथा 08 (आठ) इकाईयों को भूमि सम्परिवर्त्तन हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना हेतु ₹58,962.00 लाख स्वीकृति एवं ₹46,298.80 लाख मात्र की विमुक्ति प्रदान की गयी है।

खाद्य प्रसंस्करण हेतु विकासात्मक योजनाएँ

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पी.ए.एम.सी. द्वारा अबतक कुल 413 इकाईयों को स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें कुल संभावित पूंजीनिवेश ₹4,743.99 करोड़ (सैतालीस सौ तेतालीस करोड़ निनान्वे लाख) संन्निहित है। जिसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 48,876 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। इनमें कुल स्वीकृत अनुदान ₹940.81 करोड़ (नौ सौ चालीस करोड़ ईकासी लाख) में से अबतक 315 इकाईयों को ₹510.66 करोड़ (पाँच सौ दस करोड़ छियासठ लाख) अनुदान विमुक्त किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं में से अबतक 286 इकाईयों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गई है तथा 127 इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹78.51 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

संभाव्यता प्रतिवेदन/परियोजना प्रतिवेदन/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आदि

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सम्यक विकास हेतु विजन डाक्युमेन्ट–2015 में संभावनाओं के आधार पर 16 बिजनेस प्लान की अनुशंसा की गयी है। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की परियोजनाओं हेतु चार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेन्सी (पी.एम. ए.) आई.एल. एण्ड एफ.एस.–सी.डी.आई., श्रेयी, दारा शॉ एवं स्पा संविदा पर नियुक्त है। जिनका कार्य परियोजनाओं के कनसेप्च्युलाइजेशन से लेकर इंप्लिमेन्टेशन तक का है। इन्हें जागरूक उद्यमी की पहचान, स्थल चयन, एस.पी.भी. का गठन एवं चयन, तकनीकी का श्रोत, बाजार लिंकेंज, डी.पी.आर. तैयार करना, योजना स्वीकृत कराना, अनुदान उपलब्ध कराना तथा सरकार को योजनाओं के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता आधारित

परामर्श देना है। उक्त कार्य हेतु प्रोजेक्ट मोनिटरिंग एजेन्सी (पी.एम.ए.) को परियोजना लागत का दो प्रतिशत शुल्क का भुगतान किया जाता है जिसमें से एक प्रतिशत परियोजना विकास एवं कार्यान्वयन शुल्क के रूप में तथा शेष एक प्रतिशत सफलता शुल्क के रूप में परियोजना के पूरी होने पर किया जाता है। अब तक 401 परियोजनाओं का डी.पी.आर. अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु डी.पी.आर. तैयार करने हेतु परामर्श के शुल्क का वहन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 डी.पी.आर. तैयार करने हेतु कंसल्टेन्सी शुल्क के भुगतान हेतु ₹700.00 लाख स्वीकृति प्रदान की गई।

लघु उद्यम प्रक्षेत्र

ताड़ के पेड़ के उत्पाद पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु नीरा एवं नीरा से बनने वाले उत्पादों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापना एवं संचालन हेतु कॉम्फेड को जिम्मेवारी दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत इस मद में ₹50.00 करोड़ का उद्व्यय प्राप्त है।

जिला उद्योग केन्द्र

औद्योगिकीकरण के लिए जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास का कार्य के साथ–साथ विभागीय योजनाओं का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्य भौतिक 3,750 एवं वित्तीय लक्ष्य (मार्जिन मनी) ₹7,500.00 लाख के विरूद्ध अबतक 12,578 आवेदन पत्र जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (डी.एल.टी.एफ.सी.) से अनुशंसित कराकर ऋण के स्वीकृति एवं भुगतान हेतु विभिन्न बैंकों में भेजा गया है। बैंकों के माध्यम से 777 उद्यमियों के बीच ₹1,782.98 लाख मार्जिन मनी स्वीकृत की गयी है। भुगतान के पश्चात 31 आवेदकों को ₹137.42 लाख मार्जिन मनी का दावा के.भी.आई.सी. को भेजा गया है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 14–27 नवम्बर, 2016 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेला का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास जैसे उद्योग, व्यापार, अनुसंधान एवं विकास को प्रमुखता के साथ रखना तथा उन्हें सुविधाजनक बनाना है।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में प्रत्येक राज्य सरकारों का अपना स्थायी मंडप है, आई.टी.पी.ओ. द्वारा निर्धारित थीम के अनुसार मंडप को सजाया–संवारा जाता है तथा प्रत्येक वर्ष मेला में भाग लिया जाता है।

राज्य के विकास योजनाओं के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के प्रस्तुतीकरण हेतु एक लाभकारी योजना है।

वर्ष 2016 के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम ''डिजिटल'' निर्धारित की गयी थी। इस थीम के अनुरूप बिहार मंडप को आकर्षक ढ़ंग से तैयार किया गया। आई.टी.पी.ओ. के द्वारा इस वर्ष पूरे देश में स्वच्छ मंडप के रूप में बिहार मंडप को चयन करते हुये लगातार तीसरी बार स्वर्णपदक से सम्मानित किया गया।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (14–27 नवम्बर) 2016 में बिहार मंडप प्रगति मैदान, नई दिल्ली का सफल आयोजन किया गया है जिसमें बिहार मंडप के माध्यम से राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को कुल 45 निःशुल्क स्टॉल आवंटित कर राज्य के विकास कार्यों के साथ–साथ हैण्डलुम एवं हस्तशिल्प उत्पादित सामानों का

बिक्री–सह–प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। उक्त मेले में बिहार मंडप में आगन्तुकों की संख्या लगभग ढाई लाख से उपर थी। स्टॉल के माध्यम से हस्तशिल्पियों/हस्तकरघा प्रक्षेत्र के बुनकरों द्वारा अपने–अपने उत्पादों का लगभग ₹66.00 लाख की बिक्री की गयी।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना हेतु ₹148.77 लाख मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार उत्सव

सरकार ने बिहार राज्य के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस 22 मार्च को उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जिसके आलोक में राज्य के राजधानी पटना जिला मुख्यालय स्तर पर एवं राज्य के बाहर नई दिल्ली में भी बिहार उत्सव का आयोजन किया जाना है।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य के गौरवशाली विरासत एवं प्रगतिशील बिहार को जन–जन तक पहुँचाना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार उत्सव 22 मार्च से 24 मार्च 2017 तक गाँधी मैदान, पटना में जिला मुख्यालय स्तर पर तथा दिनांक 20–23 मार्च 2017 तक नई दिल्ली में बिहार उत्सव का आयोजन होना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजना हेतु कुल ₹118.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

प्रवासी भारतीय दिवस

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य संभावनाओं में पूंजी निवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी भारतीय दिवस, 2005 से आयोजित होता आ रहा है, जिसमें राज्य सरकार की सहभागिता होती रही है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बैंगलूरू में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस 07–09 जनवरी, 2017 के आयोजन में उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य सरकार ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया।

अपने स्टॉल के माध्यम से राज्य में पूँजी निवेश की संभावना एवं विकास कार्यों को दिखाया गया। इसके अतिरिक्त प्रथमवार क्राफ्ट बाजार के लिए तैयार किये गये प्रर्दशनी हॉल में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना के द्वारा स्टॉल लगाया गया, जिसमें हस्तशिल्प के उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन किया गया।

राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी की योजना

जिला स्तर पर प्रत्येक वर्ष राज्य के उद्यमियों/लघु उद्योगों/शिल्पियों/बुनकरों को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मेला एवं प्रदर्शनी आयोजित किया जाता है, जो औद्योगिक विकास हेतु उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए साधन है।

राज्य के ऐतिहासिक स्थान यथा हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर, श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव, सहरसा, शेरशाह सुरी महोत्सव, रोहतास एवं बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा आयोजित महिला उद्योग मेला में उद्योग मंडप लगाया गया जिसके माध्यम से राज्य के हस्तशिल्प बुनकरों एवं शिल्पकारों को निःशुल्क स्टाल का आवंटन कर उनके उत्पाद के बिक्री एवं प्रदर्शनी करने का अवसर कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना हेतु ₹50.00 लाख मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रचार एवं प्रकाशन

प्रचार एवं प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास से संबंधित नीति/योजनाओं की जानकारियों का प्रचार–प्रसार तथा बुकलेट/पुस्तिका प्रकाशन, बुलेटिन प्रोजेक्ट, प्रोफाईल आदि प्रकाशित कर ब्रोशर के माध्यम से

उद्यमियों/निवेशकों के बीच प्रचारित कराकर औद्योगिक विकास की गति को तीव्र कराना है साथ ही साथ मल्टी मीडिया के माध्यम से भी विभागीय नीति योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाता है। आयोजित विभिन्न मेला एवं प्रदर्शनी में स्टॉल कैम्प कर बुलेटिन, ब्रोशर, बुकलेट निःशुल्क वितरित कराया जाता है, ताकि राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी पूँजी निवेश के लिये आकर्षित एवं प्रोत्साहित हो सके।

मुख्यमंत्री सुक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास की योजना

राज्य में कई क्षेत्रों में पारंपरिक तरीकों से लोग सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के माध्यम से विभिन्न सामग्रियों का उत्पादन कर रहे हैं। कुछ समूह ऐसे हैं जो गरीबी के कारण केन्द्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना अंशदान नहीं दे पाते हैं। उनकों लाभान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रक्षेत्र से जुड़े उद्यमियों/कारीगरों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता एवं उसके प्रस्तुति को आकर्षक बना सकें, जिससे ग्राहक और अधिक आकर्षित हो सकें, और इन्हें उत्पादों का उचित एवं वांछित लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए "मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना" के अंतर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना करने की स्वीकृति दी गई।

इसमें राज्य सरकार तथा स्पेशल परपस वेहिकल (एस.पी.भी.) का अंशदान क्रमशः 90 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹10.00 करोड़) एवं 10 प्रतिशत होगा।

विशेष परिस्थिति में यदि कलस्टर के सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के हों तो राज्य सरकार के अनुमोदन से सामान्य सुलभ केन्द्र की स्थापना हेतु 100 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकेगा।

इस योजना के तहत लखीसराय राईस मिल कलस्टर, सिलाव खाजा कलस्टर, मेनमेहंसी सीप बटन कलस्टर एवं बथना सीप बटन कलस्टर, ब्रास–ब्रांज यूटेन्सील कलस्टर, रामराय सिंघाड़ा, वैशाली, जर्मन सिल्वर यूटेन्सील कलस्टर, कसेराटोला, पं. चंपारण, अपर्णा लेदर कलस्टर, फतुहा, पटना एवं केबल निर्माण कलस्टर, भागलपुर में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है जिसके लिए एस.पी.भी. का निबंधन हो चुका है। इनमें से 4 कलस्टर यथा कन्हैयागंज झुला कलस्टर, लखीसराय राइस मिल कलस्टर, मेनमेहंसी सीप बटन कलस्टर एवं बथना सीप बटन कलस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु क्रमशः 153.57 लाख (एक करोड़ तिरपन लाख संतावन हजार), 82.344 लाख (बेरासी लाख चौतीस हजार चार सौ), 29.57 लाख (उनतीस लाख संतावन हजार) एवं 29.13 लाख (उनतीस लाख तेरह हजार) की राशि विमुक्त की गयी है। चारों कलस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

पायलट प्रोजेक्ट

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका 6.4.6 के आलोक में मोरातालाब फुटवियर कलस्टर, नालंदा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सामान्य सुविधा केन्द्र के स्थापना हेतु ₹130.64 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।

आधारभूत संरचना उपलब्ध

आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज, अरवल, कटिहार, शिवहर, बेतिया (प. चम्पारण) एवं शेखपुरा के कार्यालय भवन निर्माण हेतु अवशेष ₹7.42 करोड़ की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए इस योजना हेतु ₹1,500.00 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पाषाण शिल्प सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, पत्थरकट्टी, गया की स्थापना

योजना का मुख्य उद्देश्य पाषाण शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण, पर्याप्त सहायता एवं मार्गदर्शन देकर उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाना है। इस योजना से पाषाण शिल्प से जुड़े सभी वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकारी भवन को Redevelop करने हेतु सर्वश्री इंटेक नई दिल्ली द्वारा डी.पी.आर. उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

हस्तकरघा प्रक्षेत्र का विकास

औद्योगिक पुनर्निमाण में कृषि प्रक्षेत्र के बाद हस्तकरघा एवं विद्युत करघा प्रक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस तथ्य से सभी परिचित है कि यह उद्योग श्रम एवं हुनर पर आधारित कुटीर एवं लघु उद्योग है जिसमें रोजगार सृजन करने की विपुल सम्भावनायें हैं तथा यह प्रक्षेत्र ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, बशर्ते की बदलते हुए आर्थिक परिवेश में इस पर पर्याप्त ध्यान एवं संरक्षण देते हुए वक्त की मांग के अनुसार इसका संतुलन एवं समग्र विकास किया जाय। इस प्रक्षेत्र के विकास हेतु निम्न योजनायें कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

- ### राज्य प्रायोजित

बुनकर ऋण माफी योजना

बुनकर ऋण माफी योजना (द्वितीय चरण):– राज्य प्रायोजित 2010–11 में प्रारंभ इस योजना के तहत कुल राशि ₹17,25,19,000.00 स्वीकृत है। योजनान्तर्गत 3,152 बुनकरों के ऋण माफी हेतु कुल राशि ₹11,80,56,357.00 जिला पदाधिकारी गया, बांका, भागलपुर, रोहतास एवं नालन्दा को उपलब्ध करा दी गई है। बुनकरों की ऋण माफी की जा चुकी है।

योजनान्तर्गत हस्तकरधा बुनकरों के साथ–साथ पावरलूम बुनकरों द्वारा लिये गये ऋण राशि के मूलधन राशि की माफी दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत योजनान्तर्गत हस्तकरघा बुनकरों के लिए कोई अधिसीमा नहीं है। विद्युतकरघा बुनकरों के लिए ₹5.00 लाख तक ऋण माफी का प्रावधान है जिसका कट–ऑफ–डेट 31.03.2007 है। ब्याज की माफी बैंकों द्वारा किया जाता है।

- ### केन्द्र प्रायोजित

प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजना

हस्तकरघा बुनकरों की कार्यशील पूँजी आवश्यकता को पूरा करने हेतु केन्द्र प्रायोजित इस योजना के तहत ₹50,000.00 से ₹5,00,000.00 तक वित्तपोषण का प्रावधान है। दिये गये ऋण पर प्रति खाता तीन वर्षों के लिए 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा अधिकतक ₹10,000.00 रूपया मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। बैंक द्वारा लाभुक बुनकर को ऋण की स्वीकृति के पश्चात RUPAY कार्ड जारी किया जाता है जिसका उपयोग लाभुक बुनकर ATM कार्ड के रूप में करते हैं।

वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत राज्य के 1,333 बुनकरों का आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजा गया है जिसमें से 31 बुनकरों को राशि ₹24.50 लाख से लाभान्वित किया गया है।

- #### ब्लॉक स्तरीय नए कलस्टर की योजना

केन्द्र प्रयोजित राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना (एन.एच.डी.पी.) के तहत् ब्लॉक स्तरीय नए कलस्टर के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र सरकार द्वारा रोहतास जिला के अन्तर्गत डेहरी ब्लॉक में प्रखण्ड स्तरीय कलस्टर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका परियोजना लागत की राशि ₹192.03 लाख

है। यह योजना तीन वर्षों के लिए है। वर्ष 2016–17 में प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश राशि ₹61.52 लाख की स्वीकृति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई है। जिसके अन्तर्गत 358 हथकरघा बुनकरों के कलस्टर का सुदृढ़ीकरण हेतु बुनियादी सर्वेक्षण, नौदानिक अध्ययन, ऑन लूम क्रियाकलापों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद विकास/विविधीकरण/वस्त्र डिजाईनर–सह–विपणन कार्यकारी की नियुक्ति, कम्प्यूटर समर्थित वस्त्र डिजाईन प्रणाली, यार्न डिपो की स्थापना के लिए कॉरपस निधि, कौशल उन्नयन, साझा सुविधा केन्द्र/डाई हाउस की स्थापना, कर्मशालाओं का निर्माण जैसे घटकों का क्रियान्वयन स्वीकृत अभिकरण द्वारा किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन अभिकरण दरिहट प्राथमिक कम्बल बुनकर सहयोग समिति, दरिहट (रोहतास) है। जिनके द्वारा कलस्टर में कलस्टर डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव का नियोजन संविदा के आधार पर किया गया है। बुनकर सेवा केन्द्र, वाराणसी द्वारा कलस्टर के 180 बुनकरों को बुनाई, रंगाई एवं डिजाईनिंग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना**

इस योजना के अन्तर्गत एक बुनकर परिवार के पाँच सदस्यों (पति, पत्नी और तीन आश्रित) को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान की जायेगी। उनके परिवार को ₹30,000.00 (तीस हजार) तक का ईलाज सरकारी एवं प्राईवेट नेटवर्क अस्पतालों में मिलेगा। इसमें हथकरघा प्रक्षेत्र के अनुषंगी कारीगरों को भी शामिल किया जायेगा। जो बुनकर/कारीगर पहले से RSBY योजना के अन्तर्गत निबंधित है उन्हें इस डाटा में शामिल नहीं किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में भागलपुर जिला से 364, पटना जिला से 100, गया जिला से 642 एवं नालन्दा जिला से 92 बुनकरों की विवरणी नोडल एजेंसी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को भेज दिया गया है।

- **विद्युतकरघा उन्नयन की योजना**

In- situ upgradation of plain powerloom scheme अन्तर्गत गया जिला के लिए प्लेन विद्युतकरघा में अतिरिक्त साजसज्जा (Additional Attachment) लगाकर, अर्धस्वचालित (Semi-Automatic) विद्युतकरघा में परिवर्तित करने पर प्रति विद्युतकरघा पर होने वाला व्यय का 40 प्रतिशत अथवा ₹12,000.00 जो कम होगा, उतनी राशि राज्य सरकार के अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 100 प्लेन विद्युतकरघा में अतिरिक्त साजसज्जा (Additional Attachment) लगाकर अर्धस्वचालित (Semi-Automatic) विद्युतकरघा में परिवर्तित करने हेतु ₹10.00 लाख (दस लाख) स्वीकृति करने की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में भागलपुर जिला के 33 विद्युतकरघा बुनकर लाभान्वित हुए है।

- **विद्युत टैरिफ योजना**

विद्युत करघा द्वारा वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर दि.–01.02.2014 से 3.00 रू. प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है। इससे राज्य में विद्युत करघा प्रक्षेत्र में वस्त्र बुनाई का लागत व्यय में कमी आई है तथा वस्त्रों का मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक हो रहा है जिससे विद्युत करघा व्यवसाय में वृद्धि हो रहा है जिसका सीधा प्रभाव राज्य के विद्युत करघा बुनकरों के रोजगार पर पड़ रहा है। जिससे उनके आय में वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 599 विद्युतकरघा इकाई लाभान्वित हुए है। जिसपर ₹220.00 लाख व्यय हुए है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजनान्तर्गत ₹220.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त राशि उर्जा विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। जिस पर ₹35.47 लाख व्यय हुए है।

- ## हस्तकरघा सर्वेक्षण

राज्य के भागलपुर, औरंगाबाद, बांका, गया, कैमूर, नालन्दा, नवादा, रोहतास, मधुबनी, सीवान, पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार, खगड़िया, जहानाबाद, प. चम्पारण एवं समस्तीपुर में कार्यरत हस्तकरघा की सूचनाएँ एकत्रित करने एवं हस्तकरघा पर यूनिक आइडेन्टिफिकेशन संख्या उत्कीर्ण कराने का निर्णय उद्योग विभाग द्वारा लिया गया है।

बुनकरों के सर्वांगीण विकास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का समुचित एवं प्रमाणित ढंग से क्रियान्वयन करने, बुनकरों के रोजगार सृजन कर उनके रोजगार में बढ़ोत्तरी करने, बुनकरों के कल्याण के लिए योजनाओं का सूत्रण करने तथा विभिन्न चालू योजनाओं का सीधे लाभ पहुँचाने हेतु इस डाटा का उपयोग किया जा सकेगा।

यह कार्य प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹25.00 लाख व्यय किया जायेगा।

- ## मेगा हैण्डलूम कलस्टर

वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्र सरकार द्वारा भागलपुर जिला में मेगा हैण्डलूम कलस्टर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत भागलपुर एवं बांका जिले के लिए 10 (दस) प्रखण्ड स्तरीय कलस्टर, दो डाई हाउस एवं एक डिजाईन स्टूडियो एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर की सैद्धांतिक स्वीकृति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। जिसमें से 10 (दस) प्रखण्ड स्तरीय कलस्टर की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका परियोजना लागत की राशि ₹976.00 लाख है। यह योजना तीन वर्षों के लिए है। इस वर्ष (2016–17) में प्रथम किस्त के लिए केन्द्रांश राशि ₹238.00 लाख की स्वीकृति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई है। जिसके अन्तर्गत 4,413 बुनकरों को निम्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।

''नया लूम, करघों के तकनीकी उन्नयन हेतु डॉवी जैकार्ड, मल्टीपल बॉक्स, बुनकरों के कौशल उन्नयन हेतु बुनाई, रंगाई, छपाई, डिजाईनिंग आदि में प्रशिक्षण तथा लाइटिंग यूनिट/सी.एफ.एल. लालटर्न आदि''।

इस योजना का लाभ सभी बुनकरों को पहुचें इसके लिए सहकारी समितियों द्वारा 10 कलस्टर डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव को संविदा पर नियोजित किया जा चुका हैं तथा बाजार के माँग के अनुरूप नये डिजाईन विकसित करने के लिए दो टेक्सटाईल डिजाईनर का नियोजन संविदा पर सहकारी समितियों द्वारा कर ली गई है तथा चार टेक्सटाईल डिजाईनर के नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

निम्न सहकारी समितियों के माध्यम से योजना चलाई जा रही हैं

- भागलपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ, भागलपुर।
- कमालचक, मुस्तफापुर प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति, भागलपुर।
- दरियापुर, प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति, शाहकुण्ड, भागलपुर।
- भागलपुर तसर सिल्क, प्राथ. बुनकर स. समिति, भागलपुर।
- मीरजाफरी ताँती नं.–2 प्राथ. बुनकर स. समिति, खरीक, भागलपुर।
- मीरानचक प्राथ. बुनकर स. समिति, गोराडी, भागलपुर।
- बुनकर दस्तकार स्वाबलम्बी सहकारी समिति, पीरपैंती, भागलपुर।
- कटोरिया, प्राथ. बुनकर स. समिति, अमरपुर, बाँका।

- बंसीपुर प्राथ. बुनकर स. समिति, बाँका।
- अहिरो सिंगारपुर, प्राथ. बुनकर स. समिति, धोरैया, बाँका।

इस योजना का कलस्टर मैनेजमेंट एण्ड टेक्निकल एजेंसी (सी.एम.टी.ए.) निफ्ट, पटना है। इस योजना हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) पटना का मैनेजमेंट एण्ड टेक्निकल एजेंसी (सी.एम.टी.ए.), नोडेल एजेन्सी है। इनके द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान किया जा रहा है।

हस्तकरघा (सहकारिता) प्रक्षेत्र

- **प्रखंड स्तरीय नये कलस्टर की योजना :** राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास योजना (एन.एच.डी.पी.) के तहत राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के सहायतार्थ निर्धारित चार लक्ष्य के विरूद्ध एक प्रखंड स्तरीय नये कलस्टर का प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया है। तीन प्रखंड स्तरीय नये कलस्टर का प्रस्ताव सर्वेक्षणोपरांत भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है।

- **हैण्डलूम महोत्सव के आयोजन की योजना :** राज्यान्तर्गत हैण्डलूम महोत्सव/सेमिनार/प्रशिक्षण आयोजन के लिए एक करोड़ रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सहकारिता एवं गैर सहकारिता प्रक्षेत्र के बुनकर/उद्यमी/निर्यातक/शीर्ष संघ/क्षेत्रीय संघ/प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियाँ को उनके द्वारा उत्पादित वस्त्रों की बिक्री हेतु हैण्डलूम महोत्सव में भागीदारी द्वारा विपणन सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

- **शीर्ष संघ को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजना :** राज्य के दो शीर्ष संघ को उत्पादन कार्य एवं बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक संघ को एक–एक करोड़ रूपए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए दो करोड़ रूपए मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गयी है। इस योजना के तहत राज्य के दो शीर्ष संघ यथा बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि., राजेन्द्रनगर, पटना एवं दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि., राजवंशीनगर, पटना द्वारा राज्य योजना मद से उपलब्ध कराये गये कार्यशील पूँजी से आवश्यकता एवं माँग के अनुरूप संबद्ध समितियों को कच्चा माल से प्राप्त बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

  योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- **सतरंगी चादर आपूर्ति की योजना :** राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रतिदिन बिछाये जाने वाले सात रंग के सतरंगी चादर योजना की शुरूआत स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा सात रंग के सतरंगी चादर यथा बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग का हस्तकरघा निर्मित चादर की आपूर्ति बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। इससे राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के रोजगार एवं आय में वृद्धि हो रही है।

रेशम प्रक्षेत्र का विकास

- **मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना**

राज्य में तसर खाद्य पौधा रोपण, कीट पालन, सूत उत्पादन के विकास के लिए राज्य के बाँका, मुंगेर, नवादा, जमुई, रोहतास, कैमुर आदि जिलों में मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना वर्ष 2012–13 से राज्य योजना मद से प्रारंभ की गई है।

इस योजना अन्तर्गत अबतक बांका, मुंगेर, नवादा एवं कैमुर जिलों के निजी भूखंड 3,326 हेक्टेयर में आसन एवं अर्जुन के पौधे लगाये गये। साथ ही बांका, जमुई, नवादा, रोहतास, कैमूर, मधुबनी एवं बेतिया जिलों में 6,120 हेक्टेयर वनभूमि सरकारी फार्म में आसन एवं अर्जुन के पौधे लगाये गये।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में बांका, मुंगेर एवं नवादा जिला में 1,089 हेक्टेयर निजी भूमि में तसर वृक्षारोपण कराया गया।

अग्रपरियोजना केन्द्र, इनारावण, कटोरिया, बांका एवं श्यामबाजार, बांका में एक प्रशासनिक भवन एवं पाँच बीजागार भवन निर्माण के लिए ₹826.04 लाख की स्वीकृति दी गयी है। इन्हीं केन्द्रों में एक–एक ककून बैंक निर्माण के लिए ₹92.88 लाख की स्वीकृति दी गयी है।

- **मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना**

मुख्यमंत्री कोशी मलवरी विकास परियोजना (2013–17) अन्तर्गत मलवरी रेशम विकास की योजना के तहत वर्ष 2016–17 में सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं मधेपुरा जिलों में 627 एकड़ निजी भू–खण्ड में मलवरी वृक्षारोपण कराया गया। कीटपालकों के 81 समूह को सिंचाई हेतु पंपसेट एवं 351 कीटपालकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना हेतु ₹654.62 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बांका एवं भागलपुर जिले के कुल 661 थाई रीलरों को एक–एक बुनियाद रीलिंग मशीन उपलब्ध कराने के लिए राज्यांश के रूप में ₹16.03 लाख स्वीकृत किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेहनती उद्यमियों का चयन कर सुक्ष्म एवं लघु उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उनमें कार्यक्षमता में बढोत्तरी हो/स्वनियोजित हो सके/नियोजन प्राप्त हो सके। उद्यमिता विकास संस्थान, पटना विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलायी जा रही है।

- **बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण**

राज्य में बुनकर के प्रशिक्षण हेतु आठ केन्द्रों यथा बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, चाकन्द (गया), ओबरा (औरंगाबाद), काको (जहानाबाद), नेपुरा सिलाव (नालन्दा), अम्बाबाग (भागलपुर), अमरपुर (बांका) सहित केन्द्रीय डिजाईन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना तथा पोलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण एवं सह उत्पादन केन्द्र, बरारी (भागलपुर) में प्रशिक्षण दी जाती है। जहाँ एक वर्षीय एवं छः माह का बुनाई एवं डिजाईन में प्रशिक्षण दिया जाता हैं। जिसमें 204 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते है, जिन्हें प्रति माह ₹800.00 छात्रवृत्ति दिया जाता है। विगत वर्ष में 167 प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, इस वर्ष 175 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

- **शिक्षण**

भारतीय हस्तकरघा प्रोद्योगिकी संस्थान, शांतिपूर, पश्चिम बंगाल में बारह सीटों पर राज्य के अभ्यार्थियों को तीन वर्षीय, हैण्डलूम डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अनुशंसा की जाती है। इसके लिए राज्य योजना मद से राज्य के आवंटित सीट पर नामांकित अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। सत्र 2016–17 के लिए 12 छात्र–छात्राओं का नामांकन किया गया है।

- **कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों के अंदर कौशल का विकास करना है जिसके आधार पर वे नियोजित/स्वनियोजित हो सके। इसके अंतर्गत प्रशिक्षणदाता संस्थानों द्वारा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का व्यय सामान्य जाति के लिए 90 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवक/युवतियों के लिए शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

  वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त कार्यक्रम के तहत राज्य के 3,385 युवा/युवतियों को विभिन्न केन्द्रों में प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 1,465 को नियोजित एवं 1,920 स्वनियोजित कराया गया है। जिस पर कुल ₹9.56 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 में सिपेट हाजीपुर, टी.आर.टी.सी., पटना एवं फुट वियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेन्ट संस्थान (एफ.डी.डी.आई.), बिहटा, पटना के द्वारा 3,845 युवक/युवतियों का प्रशिक्षण सत्र यथाः प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर/प्लास्टिक आपरेटर इन्जेक्शन/ब्लोमोल्डिंग/मोल्ड मेंकिंग टेक्निशियन मेसेनिस्ट/सर्टीफिकेट कोर्स इन टूल एण्ड डाई मेकिंग/सर्टीफिकेट कोर्स इन एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी/इन्सपेक्शन एण्ड क्वालिटी कंट्रोल/एसी/फ्रिज रिपेयरिंग एण्ड सर्टिफिकेट इन फुड वियर कटिंग एण्ड टेक्नोलॉजी प्रारंभ है। जिसके लिए ₹19.75 करोड़ की राशि की स्वीकृत प्रदान की गयी है। चार संस्थानों यथाः उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना, एन.आई.टी., पटना, पी.पी.डी.सी., आगरा तथा के.बी.आई.सी., पटना, ए.टी.डी.सी., पटना उद्यमिता विकास संस्थान में प्रशिक्षण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार अनुमानित व्यय ₹5.1958 करोड़ की राशि स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। जिसमें 8,460 युवक/युवतियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

हस्तशिल्प प्रक्षेत्र का विकास

हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक पहचान है और हमारे ग्रामीण जन–जीवन से बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है। इस प्रक्षेत्र के लाखों निर्धन परिवारों की आजिविका का यह एक बहुत बड़ा साधन भी है। हस्तशिल्प का विकास बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस प्रक्षेत्र में रोजगार की अपार सम्भावनायें है। जिसे मूल व्यवहार में लाने हेतु उद्योग विभाग द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:

- **उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना की योजना**

  उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना राज्य की एक मात्र हस्तशिल्प संस्थान है। आज बिहार में हस्तशिल्प इसी संस्थान की अगुवाई में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। दूर जिलों के शिल्पी यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी सीमित आय की वृद्धि कर रहे हैं।

  वर्ष 2016 में संस्थान को सोसाईटी एक्ट, 1860 के अन्तर्गत निबंधित किया गया है। जहाँ पर हस्तशिल्प के विकास, अध्ययन, शोध, संरक्षण, प्रचार–प्रसार, बदलते परिवेश में उत्पादनुतनता, नई तकनीक की जानकारी/क्राफ्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, प्रशिक्षण, डिजाईन, विपणन की व्यवस्था, कच्चे माल की आपूर्ति मेला–प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम किये जा रहे हैं।

  बिहार में एकीकृत हस्तशिल्प के विकास 10 शिल्पों में यथा मिथिला पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, काष्ट खिलौना, एप्लिक/कसीदा, टेराकोटा, सिक्की कला, जूट शिल्प, वेणु शिल्प, मंजूषा शिल्प एवं जूट ज्वेलरी प्रशिक्षण कार्यक्रम दो सत्रों (जनवरी–जून एवं जुलाई–दिसम्बर) में चलाया जाता है। प्रत्येक सत्र में 52 अर्थात एक कैलेंडर वर्ष में दोनों सत्रों मिलाकर 104 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण मानदेय देने का प्रावधान है। जिसके तहत 16–35 वर्ष आयु के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण मानदेय ₹800.00 एवं छात्रावास में रहने पर ₹1,500.00 दिये जाने का प्रावधान है।

प्रशिक्षण सत्र जनवरी–जून, 2016 में 35 सामान्य प्रशिक्षणार्थियों एवं जुलाई–दिसम्बर, 2016 के सत्र में 37 प्रशिक्षणार्थियों को जो राज्य के कुष्ठ रोग से ग्रसित लेकिन उपचारित तथा उनके आश्रितों को हस्तशिल्प के विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया गया।

- **शिल्पोत्सव का आयोजन**

राज्य के शिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 से ''शिल्पोत्सव'' की शुरूआत किया गया है। शिल्पोत्सव यानी ''भारत की आत्मा'' का उत्सव। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में एक ओर जहाँ बिहार समेत देश के कोने–कोने से आये राष्ट्रीय स्तर के चर्चित शिल्पकार अपनी–अपनी कला का जीवंत प्रस्तुति करते हैं तो दूसरी तरफ राज्य के सैकड़ों शिल्पी अपने–अपने उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी करते हैं। इस दौरान संस्थान परिसर में पुरे भारत की रंग–बिरंगी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इस उत्सव में तीन तरह का आयोजन संस्थान परिसर में संचालित किया जाता है।

- **राज्य पुरस्कार चयन हेतु प्रतियोगिता:** संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प प्रक्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों को राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत करने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य के सैकड़ों शिल्पी प्रतियोगिता स्थल पर ही 09 दिनों तक रहकर नमूनों का निर्माण करते हैं और उन नमूनों में से 20 नमूनों को राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकारों की निर्णायक समिति द्वारा राज्य पुरस्कार के लिए चुना जाता है।

  चयनित शिल्पियों को राज्य सरकार द्वारा ₹22,000.00 नकद, ₹1,000.00 मार्ग व्यय, ताम्र पत्र एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया जाता है।

  इस वर्ष (2016–17) आयोजित शिल्पोत्सव में राज्य पुरस्कार चयन प्रतियोगिता में कुल 276 शिल्पी प्रतियोगियों ने भाग लिया। जिसमें से 20 प्रतियोगियों को राज्य पुरस्कार एवं 20 प्रतिभागियों को UMSAM Certified Artist के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

- **अखिल भारतीय हस्तशिल्प कार्यशाला:** इस आयोजन का मुख्य उद्धेश्य यह है कि हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से उनके द्वारा निर्मित शिल्पों को विशिष्ट पहचान मिले एवं उन्हें आधुनिक डिजाईन/वृहत विपणन की सुविधा प्राप्त हो सके। बिहार के परम्परागत 10 शिल्प यथा पाषाण, टेराकोटा, पेपरमैसी, सुजनी, मधुबनी पेंटिंग, काष्ट कला, सिक्की शिल्प, वेणु, एप्लिक/कशीदा एवं मेटल में नेशनल अवार्ड/समकक्ष पुरस्कार/राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शिल्पियों में से एक–एक प्रतिभागी का चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 वैसे समकालीन कलाकारों का भी चयन किया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो। इस तरह बिहार समेत देश के कोने–कोने से आये राष्ट्रीय स्तर के चर्चित शिल्पकार अपनी–अपनी कला का जीवंत प्रस्तुति करते हैं। उक्त के आलोक में कुल 35 प्रतिभागितयों ने भाग लिया।

- **क्राफ्ट बाजार:** इसका मुख्य उद्धेश्य राज्य के हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा प्रक्षेत्र के उत्कृष्ट एवं बुनकरों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित कर बाजार उपलब्ध कराना है। साथ ही शिल्पियों एवं बुनकरों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा की सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जाती है। चयनित प्रत्येक स्टॉल धारक शिल्पी को ₹2,000.00 मार्ग व्यय के रूप में दिया जाता है। 60 शिल्पियों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित कर लाभान्वित किया गया।

  राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा प्रक्षेत्र के उत्कृष्ट स्टॉल धारक शिल्पियों को प्रथम पुरस्कार ₹10,000.00, द्वितीय पुरस्कार ₹7,000.00 एवं तृतीय पुरस्कार ₹5,000.00 से सम्मानित किया गया।

- **कौशल विकास अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम :** कौशल विकास मिशन का मुख्य उद्धेश्य राज्य के बेरोजगार युवक–युवतियों को हस्तशिल्प की शिक्षा से जोड़कर कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए उनके लिए रोजगार सृजन करना है, ताकि बिहार से प्रतिभा पलायन रोका जा सके। इसके अन्तर्गत हस्तशिल्प के विभिन्न विधाओं में राज्य के विभिन्न 10 स्थानों पर प्रशिक्षण दिया गया।

  इस योजना के तहत 300 युवक/युवतियों को लाभान्वित किया गया।

- **स्कूली छात्र–छात्राओं के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यशाला :** राज्य में स्कूली छात्र–छात्राओं के बीच हस्तशिल्प के प्रक्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के उद्धेश्य से इस कार्यशाला का आयोजन संस्थान द्वारा किया जाता है। इसमें वर्ग 06 से 12 तक के स्कूली छात्र–छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्र–छात्राओं को हस्तशिल्प के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से उनके द्वारा तैयार कलाकृतियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है।

  संस्थान परिसर में ही दिनांक 25 मई से 01 जून, 2016 तक स्कूली छात्र–छात्राओं के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर 1,000 छात्र–छात्राएँ लाभान्वित हुए।

- **मंजूषा महोत्सव :** संस्थान के तत्वाधान में अंग संस्कृति भवन, कचहरी परिसर, भागलपुर में 17–19 अगस्त, 2016 तक मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव में हस्तशिल्प एवं हैण्डलूम के उत्कृष्ट नमूनों की बिक्री एवं प्रर्दशनी के लिए 25 स्टॉल राज्य के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को निःशुल्क आवंटित किया गया था। इस आयोजन के तहत 99 शिल्पियों को लाभान्वित किया गया।

- **हॉबी क्लास :** राज्य के परम्परागत हस्तशिल्पों यथा–टिकुली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, पेपरमेशी शिल्प, सिक्की कला, एप्लिक/कशीदा एवं टेराकोटा में जागरूकता एवं रूचि बढ़ाने के उद्धेश्य से पाटलिपुत्र स्थित संस्थान परिसर में प्रत्येक शनिवार और रविवार को निःशुल्क हॉबी क्लास की शुरूआत की गयी। किसी भी उम्र की महिला या पुरूष के लिए शुरू किए गए इस निःशुल्क हॉबी क्लास को व्यापक समर्थन मिला है और प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को उसमें अबतक 700 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया है।

- शिल्पकारों को तकनीक संबंधी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन/विपणन एवं उत्पाद की गुणवत्ता के सुधार हेतु संस्थान के माध्यम से सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन सफलता पूर्वक किया जा रहा है। ग्रामीण एवं शहरी हस्तशिल्पियों के लिए अधिक आय अर्जित करने के उद्धेश्य से इस संस्थान को पर्यटन के अहम हिस्से के रूप में विकसित करने के लिए संस्थान के परिसर में आधारभूत संरचना विकास हेतु प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत संस्थान परिसर में पुराने जर्जर तकनीकी भवनों को तोड़कर उनके स्थान पर भव्य सेंट्रल प्लाजा, वर्कशाप, ब्लॉक, वर्क्सशाप ब्लॉक, कन्टेम्परी गैलरी, सेमिनार हॉल, पार्किंग एरिया इत्यादि का निर्माण होना है। जिसके निमित 30 करोड़ रू. की स्वीकृति दी गयी है, निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जायेगा। बिहार एकीकृत हस्तशिल्प के विकास से संवर्द्धन से संबंधित परियोजना में ₹530.00 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।

- उद्योग विभाग द्वारा भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अवस्थित बिहार मंडप की साज–सज्जा एवं भाग लेने हेतु संस्थान को नोडल एजेन्सी के रूप में वर्ष 2014 में जिम्मेवारी दी गयी। वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में बिहार मंडप को लगातार तीसरी बार स्र्वण पदक से नवाजा गया है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाई, हाजीपुर

उद्योग मित्र

उद्योग मित्र का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के क्रम में मार्ग दर्शन, वांछित सलाह, प्रोजेक्ट प्रोफाईल उपलब्ध कराना, उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण में सहयोग करना, आवश्यकतानुसार आँकड़े उपलब्ध कराना, विभागीय योजनाओं का अनुश्रवण करना, संबंधित आँकड़े संग्रहित कर प्रतिवेदन तैयार करना, कार्यरत परियोजनाओं की अद्यतन सूचना रखना आदि है। इसके अलावे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला से लेकर राज्य स्तरीय औद्योगिक मेला में भाग लेना, समय–समय पर औद्योगिक सेमिनार, परिचर्चा आदि का आयोजन करना भी इसके कार्य हैं।

वर्ष 2016–17 में दिसम्बर 2016 तक कुल 851 उद्यमियों को प्रोजेक्ट प्रोफाईल, आँकड़े एवं सलाह देकर लाभान्वित किया गया।

सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत उद्योग मित्र में प्रत्येक बुधवार को वाणिज्यकर विभाग, श्रम संसाधन विभाग, निबंधन, उत्पान एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं.प्रा.लि., साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं.प्रा.लि. एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के वरीय पदाधिकारी को उद्योग मित्र में उपस्थित रहकर उद्यमी बंधु की समस्याओं को निपटारा करने की व्यवस्था बहाल की गयी है। सिंगल विण्डो सिम्टम के तहत उद्यमियों द्वारा विभिन्न विभागो से संबंधित अबतक कुल 45 मामले प्राप्त हुए हैं जिसमें से कुल 19 मामले का निष्पादन किया गया है तथा शेष प्रक्रियाधिन है।

उद्योग संवाद सॉफ्टवेयर एवं समाचार–पत्रों के प्रकाशन के माध्यम से उद्यमी बनने हेतु इच्छुक कुल 1,753 प्राप्त आवेदकों को उद्योग लगाने हेतु दिनांक 19.09.2016 से 30.09.3016 तक मार्गदर्शन/मेन्टरिंग का कार्य किया गया तथा उद्योग संवाद पोर्टल पर कार्यरत उद्यमियों द्वारा किए गए ऑनलाईन 234 क्यूरिज एवं नये उद्यमियों द्वारा किये गये ऑनलाईन 394 क्यूरिज का ऑनलाईन जवाब दिया गया। उक्त उद्यमियों के समस्याओं को बिहार उद्योग संघ, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज तथा बिहार उद्यमी संघ द्वारा वर्गीकृत कर प्रत्येक शुक्रवार को प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर समस्याओं का समाधान करने का कार्य किया जा रहा है।

- एस.एम.ई. फंडींग रॉयल ऑफ कैपिटल मार्केट पर सेमिनार आयोजित किया गया।
- मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया।
- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का प्रकाशन किया गया।
- बिहार स्टार्ट–अप पॉलिसी, 2016 का प्रकाशन किया गया।
- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 का प्रकाशन किया गया।
- एम.एस.ई.–सी.डी.पी. योजनान्तर्गत चयनित कलस्टर में सॉफ्ट इन्टरवेंशन का कार्य किया जा रहा है।
- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से सहमति प्राप्त सभी प्रस्तावों का ऑन–लाईन इन्ट्री किया गया।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उद्योग मित्र के स्थापना व्यय आदि हेतु ₹98.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

खादी प्रक्षेत्र के विकास

खादी पुनरूद्धार योजना खादी प्रक्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार में अवस्थित खादी संस्थाओं को फिक्सड कैपिटल की सुदृढ़ीकरण हेतु 90 प्रतिशत के अनुदान पर चरखा, करघा एवं ड्रम तथा उलेन निटींग मशीन उपलब्ध कराया जाना है। खादी पुनरूद्धार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में

विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं आय के नये अवसर सृजित किये जाने है, ताकि राज्य से बुनकरों एवं कारीगरों का पलायन रोक सकें। खादी के नई तकनीकी का प्रयोग कर खादी संस्थाओं के खादी वस्तुओं के उत्पादन एवं बिक्री की क्षमता में वृद्धि किया जाना है।

- वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत 1,000 त्रिपुरारी मॉडल (मल्टीकाउन्ट) चरखा 35 संस्थाओं के 1,000 कत्तिनों को वितरण किया गया है। जिसकी कीमत कुल ₹1,59,99,000 है।

- खादी संस्थाओं को खादी पुनरूद्धार योजना के अन्तर्गत खादी के नये डिजाईन डेवलपमेन्ट, मूल्य वर्धित खादी वस्त्रों के उत्पादन एवं बिहार खादी की ब्राण्डींग हेतु निफ्ट, पटना के साथ एकरारनामा किया गया है, जिसमें इस कार्य के लिए 27 लाख रूपया दिया गया है।

- बिहार खादी के पहचान और इसकी ब्राण्डींग के लिए बिहार खादी लोगो एवं खादी संस्थाओं के बार कोडिंग का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना द्वारा चरखा दिवस के अवसर पर 24.09.2016 को किया गया है।

- खादी बिक्री पर छूट राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं के बिक्री पर 10 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है, ताकि खादी की बिक्री में वृद्धि हो। वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा खादी बोर्ड के माध्यम से खादी के विभिन्न संस्थाओं को ₹2.25 करोड़ का रिबेट दिया गया है।

- बिहार खादी के ब्राण्डींग एवं खादी के नये डिजाईन के डेवलपमेन्ट के लिए निफ्ट, पटना द्वारा नये 50 डिजाईन उपलब्ध कराये गये है। इन डिजाईनों का प्रयोग खादी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के खादी भवन (शो–रूम) द्वारा वर्ष 2016–17 में ₹93.00 लाख की बिक्री की गयी है।

- **प्रशिक्षण:** बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सूत कताई, सूत बुनाई, दरी/कालीन अन्य ग्रामोद्योगी जैसे बेंत, बांस, चर्म उद्योग, मधुमक्खीपालन, जूट बैग निर्माण, डिटरजेन्ट पाउडर में प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार ₹1.50 करोड़ उपलब्ध करायी है। इसक अन्तर्गत 8 जिलों में यथा– मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, नालन्दा, मधुबनी, दरभंगा एवं पूर्णियाँ में प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 से 6 माह के लिए है। यह कार्यक्रम माह सितम्बर, 2016 से प्रारंभ हुआ है। कुछ जिलों में जिला नालन्दा में प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। शेष जिलों में अभी प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है।

- चरखा दिवस के अवसर पर खादी बोर्ड के नये भवन के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना द्वारा भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। भवन निर्माण परियोजना की लाागत ₹16.94 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

- बिहार खादी भवन के शो–रूम के रेनोवेशन का भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया, जिसकी परियोजना की कुल लागत ₹24.35 करोड़ को स्वीकृत किया गया है।

मल्टी परपस फल चैम्बर
HIMACHAL APPLES

वर्ष 2017–18 की भावी योजनाएँ

★ टेक्सटाइल पार्क एवं लेदर पार्क का स्थापना/टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर, पटना में मॉडूलर शेड का निर्माण, सिपेट, हाजीपुर में एडवांस डिजाईन एण्ड टूल रूम सेन्टर हेतु भवन का निर्माण किया जाना है।

★ कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्थित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से लगभग सतरह हजार युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगारोन्मुख किया जाना है।

★ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/पाषाण शिल्प सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, पत्थरकट्टी, गया का सुदृढ़ीकरण।

★ मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना से संबंधित कीटपालकों को उपस्कर क्रय, सिंचाई सुविधा, कीटपालन घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

★ हस्तकरघा एवं विद्युतकरघा का सर्वेक्षण कार्य प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना से संबंधित कीट पालकों को उपस्कर क्रय, सिंचाई सुविधा, कीटपालन घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता दी जायेगी।

★ हैण्डलूम मार्क/ऊल मार्क निबंधन का कार्य–विभिन्न हथकरघा उत्पादों तथा कम्बल उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए उनके गुणवत्ता की प्रमाणिकता तय करने के निमित्त हैण्डलूम मार्क/ऊल मार्क के महत्व को देखते हुए राज्य के सभी शीर्ष/प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का हैण्डलूम मार्क/ऊल मार्क निबंधन कराया जाना प्रस्तावित है।

IITF, नई दिल्ली में माननीय मंत्री, उद्योग द्वारा बिहार गैलरी का अवलोकन

माननीय मुख्य सचिव, बिहार का शिल्पोत्सव प्रतियोगिता में प्राप्त कृतियों का अवलोकन

सिक्की शिल्प कला में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

बिहार सरकार

उद्योग विभाग